तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/9/2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की सहखातेदार की भूमि ग्राम देवनगर तहसील नावां में खसरा नं. 22, 48, 260/1, 261, 85, 86, 87 के रूप में अवस्थित है। उक्त सहखातेदारी की भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य में विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का रजिस्टर्ड गोद पुत्र है, जो अप्रार्थी संख्या 1 का कानूनन प्रथम श्रेणी का वारिसान है तथा गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय नावां मे दिनांक 21.09.2020 को तस्दीक किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है है जो पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई। वादग्रस्त खसरान की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी में से 1/2 हिस्सा है। उक्त पैतृक भूमि पर अर्से दराज से प्रार्थी का कब्जा काश्त है, किन्तु खातेदारी प्रार्थी के दत्तक पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है, अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। जिसकी खातेदारी घोषणा करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज भूमि का खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के लोग अप्रार्थी संख्या 1 को प्रभाव में लेके वादग्रस्त भूमियों का बैचान किन्ही भू-माफियों को कर प्रार्थी को उसके पैतकृ हक अधिकारों की भूमि से बेदखल करना चाहते है। जबकि प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर मकान आदि बनाकर निवास कर रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की होने से पक्षकारान के बीच रोज विवाद व लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है तथा सामलाती काश्त की जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के लिए बंटवारा करवाने के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। अतः जब तक उक्त विवादग्रस्त भूमि का विधिवत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा नहीं हो तब तक प्रार्थना पत्र में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.03.2023 को ताफैसला मूल वाद पुख्ता किया जावे। बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी में सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 41/44, 43/46, 88/83 एवं गोदनामा दिनांक 21.09.2020 का अवलोकन किया। जिससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का रजिस्टर्ड गोदपुत्र है तथा वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा साबित है। इस संबंध में अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किये जाने के उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाकर पृथक खातेदारी चाहता है, जिसके संबंध में वाद अधीन धारा 88, 53, 188 न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 17.03.2023 को प्रार्थी पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है तथा अप्रार्थी पक्ष द्वारा भी उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में उपस्थित न्यायालय होकर कोई उज्र आपत्ति पेश नहीं किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं सीपीसी प्रावधान के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष में प्रतीत होते है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.03.2024 को ताफैसला वाद पुख्ता किया जाता है। प्रार्थना पत्र अपने नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)